



एस/राजकोट/प्रशा./2024-25/3653

दिनांक: 06/07/2024

**कार्यालय ज्ञापन - 02/2024 1773**

**विषय: विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन एवं सदस्य के संबंध में**

राजभाषा हिंदी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करने के लिए और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संस्थान में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जा रहा है। तदनुसार विभाग के सदस्य, कार्य एवं बैठकों कि अवधि का विवरण इस प्रकार है-

**समिति के सदस्य का विवरण:**

क्र. सं.	पदनाम	विभाग	सदस्य
1.	कार्यकारी निदेशक	प्रशासन	अध्यक्ष
2.	उप निदेशक	प्रशासन	उपाध्यक्ष
3.	प्रशासनिक अधिकारी	प्रशासन	सदस्य सचिव
4.	लेखा अधिकारी	लेखा विभाग	सदस्य
5.	प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष	शरीर क्रिया विज्ञान	सदस्य
6.	प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष	शरीर रचना विज्ञान	सदस्य
7.	एडिशनल प्रोफेसर	जैव रसायन विज्ञान	सदस्य
8.	विभागाध्यक्ष	सीएफएम (CFM)	सदस्य
9.	विभागाध्यक्ष	विकृत विज्ञान	सदस्य
10.	एसोसिएट प्रोफेसर	औषध विज्ञान (फार्माकोलॉजी)	सदस्य
11.	प्रोफेसर	सूक्ष्मजीव विज्ञान	सदस्य
12.	प्रोफेसर	फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी (FMT)	सदस्य
13.	सहायक प्रोफेसर	त्वचा विज्ञान	सदस्य
14.	सहायक प्रोफेसर	मनोचिकित्सा	सदस्य
15.	सहायक प्रोफेसर	कान, नाक, गला (ENT)	सदस्य
16.	एसोसिएट प्रोफेसर	अस्पताल प्रशासन	सदस्य
17.	सहायक प्राध्यापक	पल्मोनरी मेडिसिन	सदस्य
18.	एसोसिएट प्रोफेसर	नेत्र विज्ञान	सदस्य
19.	सामान्य दवा	सामान्य दवा	सदस्य
20.	एसोसिएट प्रोफेसर	बाल्य चिकित्सा (बालरोग विज्ञान)	सदस्य



21.	एसोसिएट प्रोफेसर	निश्चेतनाविज्ञान (अनेस्थिसियोलॉजी)	सदस्य
22.	प्रोफेसर	दंत चिकित्सा	सदस्य
23.	एडिशनल प्रोफेसर	प्रसूति एवं स्त्री रोग	सदस्य
24.	सहायक प्रोफेसर	हड्डी रोग	सदस्य
25.	सहायक प्रोफेसर	जनरल सर्जरी	सदस्य
26.	सहायक प्रोफेसर	रेडियोथेरेपी	सदस्य
27.	एसोसिएट प्रोफेसर	रेडियोलोजी	सदस्य
28.	सहायक भंडार अधिकारी	भंडार कक्ष	सदस्य
29.	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	हिंदी प्रकोष्ठ	सदस्य सचिव

### समिति के विचारार्थ मुद्दे एवं कार्य:

1. संस्थान के सभी प्रभागों/अनुभागों की हिंदी के प्रगामी विकास संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा करना।
2. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति तथा लक्ष्य प्राप्त करने हेतु किए जाने वाले उपायों पर विचार करना।
3. विभिन्न पुरस्कार योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों-हिंदी प्रशिक्षण, हिंदी टाइपिंग/हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण आदि के बारे में एवं हिंदी दिवस/समारोह, हिंदी कार्यशाला, कवि संगोष्ठी आदि के आयोजन के बारे में विचार करना।
4. हिंदी के प्रयोग से संबंधित अनुदेशों के कार्यान्वयन में जो कठिनाईयां हो, उन्हें दूर करने के संबंध में व्यापक प्रयास करना।
5. संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट की संस्तुतियों पर जारी आदेशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
6. हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना चलाने पर विचार करना।
7. हिंदी के विकास और प्रसार के विषय पर, सरकारी कामकाज में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रगति हेतु आवश्यक कदम उठाना।
8. हिंदी में मूल टिप्पणी, आलेखन आदि की मासिक प्रोत्साहन योजना को संस्थान में नियमित रूप से लागू करना एवं माह के दौरान हिंदी में मूल कार्य करने वाले कर्मचारी को (मासिक हिंदी प्रोत्साहन सम्मान) पुरस्कार विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष द्वारा दिया जाता है।
9. संस्थान के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा 100 प्रतिशत कार्य हिंदी में किए जाने हेतु उत्साहित करना।
10. राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।





All India Institute of Medical Sciences, Rajkot, Gujarat 360110

A Central Autonomous Body under PMSSY, MoH&FW

Government of India www.aiimsrajkot.edu.in



## बैठक के आवृत्ति:

वर्ष के दौरान संस्थान में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 04 बैठकें (वार्षिक कार्यक्रम 2024-25 के अनुसार प्रति तिमाही एक बैठक) आयोजित की जाती हैं एवं समिति के सभी सदस्यों को अनिवार्य रूप से भाग लेना अपेक्षित है यदि किसी विशेष कारण से समिति के सदस्य बैठक में भाग नहीं ले पाते हैं तो वे अपने प्रभाग/अनुभाग के किसी वरिष्ठतम अधिकारी को बैठक में भाग लेने के लिए नामित करना एवं सदस्य-सचिव को सूचित करना आवश्यक है। इन बैठकों की अध्यक्षता विभागीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष द्वारा की जाती है जिसमें राजभाषा नीति के नियमों का पालन करने के बारे में समीक्षा करके इन्हें कड़ाई से लागू करने के लिए विभागीय राजभाषा समिति के सदस्यों को आवश्यक कदम उठाए जाने के निर्देश दिए जाते हैं।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।



पुनीत कुमार अरोड़ा

कर्मल पुनीत कुमर अरोड़ा  
उप निदेशक (प्रशासन), एम्स राजकोट

## प्रतिलिपि,

1. कार्यकारी निदेशक, एम्स राजकोट
2. सभी विभाग/अनुभाग-अध्यक्षगण/संकाय सदस्यगण, एम्स राजकोट,
3. प्रशासनिक अधिकारी, एम्स राजकोट
4. उप चिकित्सा अधीक्षक, एम्स राजकोट
5. लेखा अधिकारी, एम्स राजकोट
6. प्रभारी आईटी सेल, एम्स राजकोट की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

उप निदेशक (प्रशासन)

DEPUTY DIRECTOR (ADMINISTRATION)

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राजकोट - 360110

All India Institute of Medical Sciences, Rajkot - 360110